

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/24/ 3131

दिनांक: 2/8/24

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत जमवारामगढ जिला जयपुर क्षेत्र को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	जयपुर	जमवारामगढ	ग्राम पंचायत जमवारामगढ के राजस्व ग्राम मेदराजसिंहपुरा, बिशनपुरा, बिट्ठलवपुरा, लाली, नयाबास, निमेडिया, मालावाला, रामपुरावासरामगढ, चौमुखा, धारुपुरा, नरपतियावास, रामपुरा उर्फ बादियावाला, खेमावास उर्फ चुगलपुरा, सांऊ, सांऊसीरा, गोपालगढ, हीरावाला, चकमालाकी नांगल (जनसंख्या - 23,864) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2024-25 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जमवारामगढ के राजस्व ग्राम मेदराजसिंहपुरा, बिशनपुरा, बिट्ठलवपुरा, लाली, नयाबास, निमेडिया, मालावाला, रामपुरावासरामगढ, चौमुखा, धारुपुरा, नरपतियावास, रामपुरा उर्फ बादियावाला, खेमावास उर्फ चुगलपुरा, सांऊ, सांऊसीरा, गोपालगढ, हीरावाला, चकमालाकी नांगल के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी। विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दिनांक 01.06.2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जमवारामगढ के निर्वाचित संरपच/उपसंरपच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)()डीएलबी/24/ 3132-3

दिनांक: 2/9/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव / उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव / आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच / सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त जयपुर राजस्थान।
10. जिला कलेक्टर जयपुर को भेजकर लेख है कि आप द्वारा पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 06.08.2024 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में अन्य ग्राम पंचायतों का उल्लेख नहीं किया गया है।
11. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर / पी.आर.ओ. निदेशालय।
12. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
13. वित्तीय सलाहकार / समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग निदेशालय राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
15. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. सरपंच / उपसरपंच / सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत जमवारामगढ़ एवं जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा अंकित समस्त राजस्व ग्राम जिला जयपुर।
17. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराज जाग्रत)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी